रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022022-233438
CG-DL-E-15022022-233438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फ़रवरी, 2022

फा. सं.पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी(79)/2019 (पी-770) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभण**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी कोप्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में,

(क) विनियम 5 में, उप-विनियम 6 (ख) के लिए, खंड (iv) के पश्चात., निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (v) कंपनी के पास हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइनों का निर्माण करने, प्रारंभण-पूर्व और प्रारंभण कार्य करने लिए तकनीकी रूप से योग्य पर्याप्त कार्मिक हों और एकल आधार पर सीजीडी परियोजना को स्वतंत्र रूप से प्रारम्भ करने और निष्पादित करने के लिए एक विश्वसनीय योजना भी हो।

स्पष्टीकरण- कंपनी के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले स्थायी नामावली में कम से कम तीन तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारी हों, अर्थात्: -

(i) अधिग्रहण अथवा स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार;

(ii) हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइन परियोजना का डिजाइन और निष्पादन;

(iii) हाइड्रो-परीक्षण सहित प्रारंभण-पूर्व कार्य और पुन: प्राप्ति; तथा

(iv) हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइन और स्थापनाओं की सुरक्षा।

'' (ख) अनुसूची-घ में, प्वाइंट सं0 1 के लिए, ''प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क बिछाने,निर्माण और उसका विस्तार करने से आरम्भ होने वाले शब्दों..........." और नक्शे में दिखाया गया है ", से समाप्त होने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''1. प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकृत क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित चार्ज क्षेत्र होंगे, जैसा कि संकेतक में दिखाया गया है और ड्राइंग अथवा मानचित्र स्केल पर नहीं ;

क्रमांक	जिले का नाम	चार्ज क्षेत्र
1.		
2.		
3.		

"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./ 643/2021-22]

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को अधिसूचित जी.एस.आर. 196 (अ.) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा किया गया था। और तत्पश्चात् जी.एस.आर. 800 (अ.)) के माध्यम से संशोधित, दिनांक 19 नवंबर, 2008, जी.एस.आर. 295 (अ.) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जी.एस.आर. 478(अ.) दिनांक 7 जून, 2010, जी.एस.आर. 605 (अ.)) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/समीक्षा-2011/2012-III, दिनांक 21 जून, 2013, फा. सं. पी ए नजी आरबी/ सीजीडी/बिड/4/2013- बोली -पूर्व दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा.सं.एल-एमआईएससी/VI/आई/2007, दिनांक 1 जनवरी ,2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ विनियम/ संशोधन/2015, दिनांक 13 फरवरी 2015, पीएनजीआरबी/ सीजीडी/ संशोधन/ 2015/ 2, दिनांक 11 दिसंबर 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/ संशोधन/ 2015/2/ एससी, दिनांक 26 अप्रैल 2016, फा.सं पीएनजीआरबी/एयूटीएच/सीजीडी/एएमडी/2018 , दिनांक 6 अप्रैल 2018, फा.सं पीएनजीआरबी/ प्राधि./ सीजीडी/एएमडी/2018/2 दिनांक 27 अप्रैल 2018, फा.सं पीएनजीआरबी/ प्राधि./ सीजीडी/एएमडी/2018/3 दिनांक 6 नवंबर 2018, फा.सं पीएनजीआरबी/ प्राधि./सीजीडी/एएमडी//2018 /4 दिनांक 21 नवंबर 2018,फा. सं. फा. सं पीएनजीआरबी/ प्राधि./सीजीडी/ (07)/2020 (पी-884) दिनांक 30 सितंबर 2020 और पीएनजीआरबी/ प्राधि./सीजीडी/ (79)/2019 (पी-770) दिनांक 07 सितंबर 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi,14th February, 2022

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2.In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -

(a) In regulation 5, for the sub-regulation 6 (b), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

"(v) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in construction, pre-commissioning and commissioning of hydrocarbon steel pipelines and also has a credible plan to independently undertake and execute the CGD project on a standalone basis.

Explanation- The entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than three years in the following areas, namely: -

(i) right of way acquisition or clearance securing;
(ii) design and execution of a hydrocarbon steel pipeline project;
(iii)pre-commissioning including hydro-testing and restoration; and
(iv)safety of hydrocarbon steel pipeline and installations."

(b) In Schedule-D, for the Point No.1, the words beginning with "The Authorized Area for laying, building…" and the ending with the words, "…drawing or map", shall be substituted by the following, namely: --

"1. The Authorized Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover the following Charge Areas, as depicted in indicative and not to scale drawing or map;

S.no.	District Name	Charge Area
1		
2.		
3.		

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./643/2021-22]

Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196 (E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F. No. L-MISC/VI/ I/2007 dated 1st January, 2015, F. No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2 dated 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/ CGD/Amd/2018 dated 6th April 2018, F.No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2 dated 27th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3 dated 6th November 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4 dated 21st November 2018, F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884) dated 30th September 2020 and PNGRB/Auth/1-CGD (79)/2019 (P-770) dated 07th September 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.15 22:12:01 +05'30'